संख्या-652/2018/1308/22-2-2018-17(36)/2001

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र तिवारी पुत्र श्री मुन्शीलाल तिवारी, निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 17-07-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामचन्द्र तिवारी पुत्र श्री मुन्शीलाल तिवारी, निवासी-गुरदही बुजुर्ग, थाना-सिकन्दरा, जनपद-कानपुरदेहात का रहने वाला है। बन्दी ने दहेज न देने के कारण दिनांक 22/23-09-1993 को रात्रि में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी समता देवी ऊर्फ रन्नो देवी की हत्या कर शव रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेल की पटरी पर फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**15**/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201/34, 498ए के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षेत्र), ललितपुर के आदेश दिनांक 01.03.1996 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील के आदेश दिनांक 01.09.1997 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युण्दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27-06-2018 तक 24 वर्ष, 06 माह, 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दहेज न देने के कारण दिनांक 22/23-09-1993 को रात्रि में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी समता देवी ऊर्फ रन्नो देवी की हत्या करने तथा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेल की पटरी पर फेंकने का जघन्य अपराध कारित गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 55 वर्ष लगभग है तथा शारीरक रूप से स्वस्थ है व अपराध करने में अशक्त नहीं है, बन्दी के जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र तिवारी पुत्र श्री मुन्शीलाल तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामचन्द्र तिवारी (बन्दी संख्या-2198/1996) पुत्र श्री मुन्शीलाल तिवारी, निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-652/2018/1308(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कानपुर देहात
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-652/2018/1308/22-2-2018-17(36)/2001

दिनांक 25 सितम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी रामचन्द्र तिवारी (बन्दी संख्या-2198/1996) पुत्र श्री मुन्शीलाल तिवारी, निवासी-गुरदही बुजुर्ग, थाना-सिकन्दरा, जनपद-कानपुरदेहात का रहने वाला है। बन्दी ने दहेज न देने के कारण दिनांक 22/23-09-1993 को रात्रि में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी समता देवी ऊर्फ रन्नो देवी की हत्या कर शव रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेल की पटरी पर फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**15**/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201/34, 498ए के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षेत्र), ललितपुर के आदेश दिनांक 01.03.1996 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील के आदेश दिनांक 01.09.1997 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युण्दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27-06-2018 तक 24 वर्ष, 06 माह, 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दहेज न देने के कारण दिनांक 22/23-09-1993 को रात्रि में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी समता देवी ऊर्फ रन्नो देवी की हत्या करने तथा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेल की पटरी पर फेंकने का जघन्य अपराध कारित गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 55 वर्ष लगभग है तथा शारीरक रूप से स्वस्थ है व अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र तिवारी पुत्र श्री मुन्शीलाल तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in